रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

KI2143 सत्यमेव जयते The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934 603] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934 No. 6031

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 849(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वित्त अधिकारी समुह 'क' पद) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पुर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में वित्त अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, वित्त अधिकारी, समुह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, बिवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुरोय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

 शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए र्जी कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।,

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

4424 GI/2012

सं

| ाथवा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने पद के लिए आयु-सीमा वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | (6) | नहीं लागू नहीं होता 11 11 | धे, यदि भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) ता प्रतिनियुक्ति द्वारा |
|---|---------|--|---|
| वेतन बैंड चयन अथवा और ग्रेड अचयन पद वेतन या वेतनमान | (4) (5) | वेतान बॅंड-3 लागू नहीं (15600- होता 39100रू.) + ग्रेड वेतन 6600रू. | परिवीक्षा की अवधि, कोई हो । (9) लागू नहीं होता |
| वर्गीकरण | (3) | साधारण वे केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क' 3 राजपत्रित + अनुसचिवीय 6 | क्तियों के लिए अर्हताएं प्रोन्नत ी या नहीं |
| पद संख्या | (2) | 1* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के f विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रो- व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं l (8) लागू नहीं होता |
| पद का नाम | (1) | वित्त अधिकारी | सीधे भर्ती किर विहित आयु व्यक्तियों की व |

अनुसूची

2

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

| प्रोन्नैति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारां भर्ती की दशा में वे श्रेणियां | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो | भर्ती करने में किन |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| जेनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । | उसकी संरचना | परिस्थतियों में संघ लोक |
| | | सेवा आयोग से परामर्श |
| | | किया जाएगा । |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रतिनियुक्ति : | लागू नहीं होता | पद भरे जाने के लिए |
| केन्द्रीय संगठितं लेखा सेवाओं के ऐसे अधिकारी,- | | संघ लोक सेवा आयोग |
| (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद | | से परामर्श करना |
| धारण किया हुआ है ; या | | आवश्यक है । |
| (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100+ | | |
| ग्रेड वेतन 5400रु. या वेतन बैंड -2, 9300-34800+ ग्रेड वेतन | | 4 |
| 5400रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित | i se se se se se se | |
| सेवा की हो ; या | | a contractor |
| (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800+ | #1 | |
| ग्रेड वेतन 4800रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 6 वर्ष की | | |
| नियमित सेवा की हो ; या | | |
| | | |
| * | | · · · |
| | | |
| टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के | · · · · · | |
| उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले | | |
| धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है | | |
| साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । | 0* Z8 | |
| | | |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा | | |
| आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं | | 21 |
| होगी । | | |

¥.

4

| : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन किसी अधिकादि द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस विषस छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिसों पर आधातित वेतन संख्या का विस्तार किन गया है, नियमित आधार पर सेवा को, सिवाय उस दवा का नाहा कि से आयेक पूर्व वेतनमान का साधारण प्रेड वेतन या वेतनमान सित्ता किसी जन्म्यन हो गया है और वहाँ यह लाम केवल उस पद या जन पहों पर होगा विसरक तिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी जन्म्यन लो प्रतिस्थापन ग्रेंड हे आयोग की, सिंग किसी जन्म्यन लो प्रतिस्थापन ग्रेड हे आयोग की, सिंग सनही तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतुम्मान पर की गई सेवा सनही तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतुम्मान पर की गई सेवा सनही ति. स. 01/14/2011-सी(प्रस्ती त. स. 01/14/2011 की(प्रस्ती | THE GAZETTE C | DF INDIA : EXTRAORDINARY | Par |
|--|---|--|-----|
| : प्रतिनिधुक्ति के आधार पर निधुक्ति के प्रयोजन किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधार पर वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन रण प्रतिस्थापन ग्रेड है,आयोग की सिफारिशों पर आधारित ततस्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी ततस्थानी ग्रेड वेतन या वेत्रुमान पर की गई सेवा समझी | | िफा. सं. 01/14/2011-सीएसनी। बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण). | |
| टिप्पण 3 के लिए पुनरीक्षित भे विलय विस्तारित का साधा जाएगी । जाएगी । | : प्रातानयुाक्त किसी अधिकारी द्वारा 1 ति जिससे छठे केन्द्रीय वेतन वेतन संरचना का विस्तार सेवा को, सिवाय उस द सेवा को, सिवाय उस द वेतनमान का साधारण ग्रेड तेतनमान का साधारण ग्रेड त हो गया है और वहाँ यह त तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वे तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वे | | |

भारत का राजपत्र : असाधारण

· [भाग 11—खण्ड 3(i)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2012

G.S.R. 849(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Finance Officer Group 'A' post) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Finance Officer in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

 Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Finance Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

4424 6012-2

SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Pay band and grade pay or pay scale. | Whether selection post or non-selection post. |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Finance Officer. | 1* (2012) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial. | Pay band-3, Rs. 15600– 39100 plus grade pay Rs. 6600. | Not applicable. |
| Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
| 6 | 7 | 8 | . 9 | 10 |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | By deputation. |

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II SEC. 3(i)

÷.,

| In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|--|--|
| 11 | 12 | 13 |
| Deputation:- Officers from the Central Organised Accounts Services,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade in pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' regular service in the grade in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' regular service in the grade in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department. | Not applicable. | Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post. |
| Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation | | х |

Ś.

52

·

12

[भाग]]—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

> [F. No. 01/14/2011-CSB] B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II--S

3(i)]

 ∞